न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 113/2016

1. श्रीमती मोडी पिता प्रभु जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ हाल पत्नी धन्न जी दरोगा निवासी दान जी का खेडा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
2. छगनलाल पिता प्रभू जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ ………वादीगण

बनाम

1. तुलसीबाई बेवा लालू जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
2. बहादुर पिता रतन जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
3. विनोद पिता रतन जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ ना0बा0 द्वारा संरक्षक माता रतनीबाई पत्नी रतन जी दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
4. आशा पिता रतन जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
5. रतनीबाई पत्नी रतनबाई जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
6. कालू पिता मूलचंद्र जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
7. भैरू पिता मूलचंद्र जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
8. लादू पिता मूलचंद्र जाति दरोगा पत्नी मदनसिंह दरोगानि0 भंवरियाँखुर्द तह0बेगूँ
9. भूला पिता मूलचंद जाति दरोगा हाल पत्नी मदनलाल दरोगा नि0टहलाकाझुंपडा तह0माण्डलगढ़
10. सीता पिता मूलचंद्र जाति दरोगा हाल पत्नी देवकिशन दरोगा नि0टहला तह0 माण्डलगढ़
11. मडी पिता मूलचंद्र जाति दरोगा हाल पत्नी सोहनलाल जी दरोगा नि0 देदिया तह0 बेगूँ
12. काली बेवा मूलचंद्र जी जाति दरोगा निवासी सुवानियाँ तह0 बेगूँ
13. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़
14. भूमिधारी जी श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ ……प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री के.सी.मंत्री

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः– 26.4.2017

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया :–

यह कि ग्राम सुवाणिया पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की निम्नलिखित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
140	1.6900
357	0.7800
358	0.0200
359	0.1000
377	0.2400
379	0.0300
योग किता 6 कुल रकबा	2.86 हैक्टर

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर परिवार का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

प्रभू

लालू   छगन   मूलचंद   मोडी

लालू → तुली बेवा

मूलचंद → रतन   कालू   भैरू   लादू   भूला   मडी   सीता

रतन → बहादुर   विनोद   आशा   रतनी

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात भूप्रबंध पूर्व तक वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के पूर्वज प्रभू वल्द गोपी दरोगा के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो भूप्रबंध विभाग ने उनकी मृत्यु हो जाने से सीधे ही नवीन रेकार्ड में उनके तीनों पुत्रों लालू मूलचंद एवं छगनलाल पिता प्रभु के नाम दर्ज कर दी जबकि वादीया प्रभू जी की एकमात्र पुत्री होने से इन तीनों पुत्रों के साथ वादी क्रमांक 1 का भी कानूनन नाम दर्ज रेकार्ड होना चाहिये था। भूप्रबंध विभाग द्वारा प्रभु जी के नाम दर्ज आराजीयात सीधे तीनों पुत्रों के नाम दर्ज करने की कार्यवाही वादी संख्या 1 के अधिकारों के मुकाबले अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी कार्यवाही है। वादी क्रमांक 1 प्रभू जी की संतान होने से उक्त आराजीयात में अपना नाम दर्ज कराने की पूर्ण रूप से कानूनन अधिकारिणी है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पुश्तैनी होकर वादी क्रमांक 1 का भी हक हित निहित होने से एवं राजस्व रेकार्ड में नाम छूट जाने से जानकारी आते ही वादी क्रमांक 1 ने दिनांक 24/4/2016 को प्रतिवादीगण को तहसील कार्यालय में चलकर खाता दुरुस्ती हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में सजरानुसार वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 से 12 का हिस्सा 1/4 बनता है एवं वादीगण इसी अनुसार हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी होने से वादीगण यह वाद वास्ते घोषणा श्रीमान् में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 27/4/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी संख्या 1 का नाम खाता में दर्ज कराने की कार्यवाही से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैं :–

कि पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पुश्तैनी होकर वादी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/4, वादी क्रमांक 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे।

कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो, प्रदान की जावे।

दावा बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से दिनांक 18/10/2016 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पत्रावली में बयान वादी के कलमबद्ध किये गये एवं वकील वादी की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। बाद गहन अवलोकन वादीगण मौजा ग्राम सुवाणिया पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ में उक्त वर्णित आराजी संख्या 140, 357, 358, 359, 377, 379 कुल किता 6 कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 का हिस्सा 1/4 घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते हैं।

अतः वाद वादी अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। मौजा ग्राम सुवाणिया पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ में आराजी संख्या 140, 357, 358, 359, 377, 379 कुल किता 6 कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 का हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ